

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प. 6(4)(2)एसीआर/विविध/अभि/2025/ दिनांक: ई-हस्ताक्षरित दिनांक

—आदेश—

कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रो के तहत राजसेवको के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज के माध्यम से एसीआर मॉड्यूल पर निश्चित समायवधि में ऑनलाईन भरे जाने का प्रावधान है, जिसके फलस्वरूप विभाग स्तर पर कार्मिक विभाग से जारी परिपत्रो की पालना व राज्य सरकार को समय पर कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में विभाग स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना संकलित कर उपलब्ध कराने एवं कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में राजकाज पोर्टल अथवा अन्य किसी तकनीकी कारणो से आई कठिनाईयो/निराकरण या अन्य सुझाव विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु विभाग स्तर पर अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि.) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

01. सहायक शासन सचिव, गृह (ग्रुप-10) विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) को पालनार्थ।
03. समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर